

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:-63/2023

निर्णय दिनांक :- 26.05.2025

उनवानी दावा:

कमला पुत्री नानगा जाति, बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी  
जिला टोंक राज0

-वादी-

बनाम

1. गीता देवी पत्नि गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोपाल पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. नरेश पुत्र गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. बन्टी पुत्र गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

-प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा  
अधिवक्ता वादी

श्री रमेश चन्द शर्मा  
अधिवक्ता प्रति. संख्या 1 ता 4  
तहसीलदार दूनी  
प्रतिवादी संख्या 5

### दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.06.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से क्रमांक 3761 दिनांक 14.08.2024 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

कुर्रजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष अधिवक्ता से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष अनुसार कुर्रजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी

26.5.25

दिनांक:- 26.05.2025

द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2074-77 खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 1863 रकबा 0.27 है, खसरा नम्बर 2105/1856 रकबा 0.07 है, खसरा नम्बर 2106/1858 रकबा 0.21 है कुल किता-3, कुल रकबा 0.55. है वाके ग्राम चन्दवाड़ पटवार हल्का चन्दवाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज0 व खाता संख्या 62 खसरा नम्बर 638/550 रकबा 0.27 है वाके ग्राम रंगबिलास पटवार हल्का चन्दवाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। ....

तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम रंगबिलास के खाता संख्या 62 पटवार हल्का चंदवाड़ भू. अभि. क्षेत्र घाड़ तहसील दूनी में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	कमला पुत्री नानगा हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	638/550	0.135	0.325
	कुल	किता 1	0.135	0.325
2	गीता पत्नी गोपाल हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा घाड़ नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शित	638/550 मि.	0.135	0.325
	कुल	किता 1	0.135	0.325

तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम चंदवाड़ के खाता संख्या 146 पटवार हल्का चंदवाड़ भू. अभि. क्षेत्र घाड़ तहसील दूनी में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-


क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	कमला पुत्री नानगा हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. रंगबिलास खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	1863	0.135	3.58
		2105/1856	0.035	0.28
		2106/1858	0.105	0.84
	कुल	किता 3	0.275	4.70
2	गीता देवी पत्नी गोपाल हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. रंगबिलास खातेदार राहिन	1863 मि.	0.135	3.58
		2105/1856 मि.	0.035	0.28

26.5.25

बी.ओ.बी शाखा घाड़ नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शित	2106/1858 मि.	0.105	0.84
कुल	किता 3	0.275	4.70

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि से वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 26.05.2025 को सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्लदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ..

उनवानी दावा:

कमला पुत्री नानगा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी  
जिला टोंक राज0

-वादी-

बनाम

1. गीता देवी पत्नि गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोपाल पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. नरेश पुत्र गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. बन्टी पुत्र गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी रंगविलास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

-प्रतिवादीगण-

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 63 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री रमेश चन्द शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

आदेश

तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2074-77 खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 1863 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 2105/1856 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2106/1858 रकबा 0.21 है0 कुल किता-3, कुल रकबा 0.55. है0 वाके ग्राम चन्दवाड़ पटवार हल्का चन्दवाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0 व खाता संख्या 62 खसरा नम्बर 638/550 रकबा 0.27 है0

26.5.25

के ग्राम रंगविलास पटवार हल्का चन्दवाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। ....

तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम रंगबिलास के खाता संख्या 62 पटवार हल्का चंदवाड़ भू अमि. क्षेत्र घाड़ तहसील दूनी में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	कमला पुत्री नानगा हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	638/550	0.135	0.325
	कुल	किता 1	0.135	0.325
2	गीता पत्नी गोपाल हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा घाड़ नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शित	638/550 मि.	0.135	0.325
	कुल	किता 1	0.135	0.325

तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम चंदवाड़ के खाता संख्या 146 पटवार हल्का चंदवाड़ भू अमि. क्षेत्र घाड़ तहसील दूनी में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	कमला पुत्री नानगा हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. रंगबिलास खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	1863	0.135	3.58
		2105/1856	0.035	0.28
		2106/1858	0.105	0.84
	कुल	किता 3	0.275	4.70
2	गीता देवी पत्नी गोपाल हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. रंगबिलास खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा घाड़ नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शित	1863 मि.	0.135	3.58
		2105/1856 मि.	0.035	0.28
		2106/1858 मि.	0.105	0.84
	कुल	किता 3	0.275	4.70

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि से वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

26.5.15

जी.....मुवलिक.....बाबत् .....  
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज  
की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।  
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 05 सन् 2025  
को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....

मुहर

मुददर्ई	रु.	पै.	मुददायलह	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत	
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील	
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा	
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान	
अन्य				
मिजान				

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।